International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
Volume-8, Issue-2 March-April- 2021 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान आन्दोलन

डॉ0 मंजूषा श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग
श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी)

केन्द्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है, इसे ही समर्थन मूल्य (MSP) कहते हैं बाजार में कषि उपज का मूल्य कम होने पर भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलें खरीदती है, जिससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इस खरीदे हुए खद्यान को कल्याणकारी सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणली (PDS) के माध्यम से गरीबों में बांट देती है।

एम.एस.पी. किसानों की लागत का 50 प्रतिशत निर्धारित है। कई जगह किसानों को कई फसल बेंचनी पड़ती है। एम.एस.पी. से कम कीमत पर अपनी फसल बेंचनी पड़ती है। एम.एस.पी. को लेकर कोई कानून नहीं बना है। यह सिर्फ एक नीति है, जिसे सरकार जब चाहे तब बन्द कर सकती है। कषि मंत्रालय का एक विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एण्ड प्राइसेज गन्ने पर एम.एस.पी. तय करता है। यह बस एक विभाग है, जो मात्र सुझाव देता है, यह कानूनी रूप से एम.एस.पी. को लागू नहीं करता।

एम.एस.पी. का लाभ मात्र 23 फसलों पर ही प्राप्त है, जिसमें सात खाद्यान्न फसलें– धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ, पाँच दालें–चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर एवं, सात तिलहन, सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त गन्ना, कपास, जूट, नारियल पर भी एम.एस.पी. मिलता है। वर्ष 2014 में बनी शांताकुमार कमेटी के अनुसार केवल प्रतिशत किसानों को ही एम.एस.पी. का लाभ मिल पाता है।

वर्ष 2017 में सरकार ने माडल फार्मिंग एक्ट जारी किया था। एक निश्चित अवधि के बाद यह पाया गया कि अधिनियमों में सुझाए गए कई सुधार राज्यों द्वारा लागू नहीं किए गए थे। कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए जुलाई 2019 में सात मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक नवीन क्रांतिलाने के उद्देश्य से जून 2020 के प्रथम सप्ताह में तीन अध्यादेश जारी किए, जो कृषि उपज, उनकी बिक्री जमाखोरी, कृषि विपरण और अनुबन्ध कषि सुधार से सम्बन्धित थे। इन अध्यादेशों को बिल के रूप में पेश किया गया और 17 सितम्बर 2020 को इन्हें पारित कर दिया गया। 24 सितम्बर को पंजाब से इनके विरोध में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। तीन दिन बाद इन बिल को राष्ट्रपति जी से मंजूरी मिल गई।

तीन कषि कानून जिनका दिल्ली आन्दोलन में विरोध हो रहा है, इस प्रकार हैं–

(1)कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून 2020– इस कानून में एक ऐसा इकोनोमिक सिस्टम बनाने का प्रावधान है, जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की APMC (एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्केट कमेटी) की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचनें की आजादी होगी।

इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी रोक टोक के बेचने में बढ़ावा मिलेगा।

बिल में मार्केटिंग और ट्रान्सपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है, ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलैक्ट्रानिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की बात कही गई है।

फारमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एण्ड फामर्स (प्रमोशन एण्ड फैसलिटेशन) एक्ट 2020 के लागू होने से किसानों को अलग–अलग स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी कानूनों (AMPC एक्ट) के अन्तर्गत नोटीफाइड फिजिकल मार्केट के बाहर अपने उत्पाद को

बेचने की इजाजत मिलती है। इससे सभी राज्यों के APMC एक्ट अप्रभावी हो जाते हैं। किसानों को सबसे ज्यादा आपत्ति इसी कानून से थी। किसानों को डर था कि इस कानून के लागू होते ही APMC मण्डिया कमजोर हो जाएंगी। एक्ट के सेक्शन–4 में किसानों को अपनी उजप APMC मण्डियों के बाहर, राज्यों के भीतर और बाहर के क्षेत्रों में बेंचने की इजाजत मिलती है। सेक्शन–6 में APMC बाजारके बाहर व्यापार के लिए किसी राज्य के APMC एक्ट या किसी दूसरे कानून के तहत कोई मार्केट फीस या सेस नहीं लिया जा सकता है।

किसानों को डर था कि नए नियमों के स्थानीय बाजारों में उनके उत्पादन के लिए अपर्याप्त मांग रह जाएगी और संसाधनों की कमी के चलते माल को बाजार ले जाकर बेचना सम्भव न होगा।

(2) कृषक (सशक्तिकरण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020– इस कानून का उद्देश्य कांट्रेक्ट फार्मिंग के लिए कानून फ्रेमवर्क बनाना था इसके तहत किसान बुआई के सीजन से पहले अपने उत्पादन को पहले से ही तय कीमतों पर बेचनें के लिए सीधा समझौता कर सकते थे। इससे किसानों और स्पान्सर्स के बीच एग्रीमेन्ट किया जा सकता था। लेकिन किसानों को डर था कि इससे MSP समाप्त हो जाएगी और बड़ी कम्पनियां छोटे किसानों का शोषण कर सकती हैं।

(3) आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून 2020 – इस कानून के तहत केन्द्र सरकार खाने की वस्तुओं के स्टॉक होल्डिंग पर लिमिट लगाने की ताकत खो देगी। फसलों के भण्डारण और उनकी कालातीत बाजारी को, रोकने के लिए सरकार ने Essential Commodity Act बनाया था। नए कानून के अन्तर्गत अनाज, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज़ को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया।

दिल्ली किसान आन्दोलन के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं–

(1) तीन फार्म बिलों को निरस्त करना।

(2) कानूनी रूप से समर्थन मूल्य सुनिश्चित करना।

(3) एम.एस.पी. को औसत आरित उत्पादन की लागत से कम से कम 50 से अधिक उठाया जाये।

(4) एन.सी.आर. और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता और उससे सम्बन्धित अध्यादेश 2020 को समाप्त करना और पराली जलाने सजा या जुर्माने को हटाना।

(5) किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों को लागू करना।

(6) फार्म यूनियन नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेना।

(7) कृषि गतिविधियों के लिए डीजल की कीमतों में 50 प्रतिशत की कमी लाना।

(8) बिजली संशोधन अध्यादेश 2020 को रद्द करना।

दिल्ली किसान आंदोलन में किसानों की पहली तीन मांगे कृषि कानून 2020 के विरोध में हैं। इसमें भी प्रमुख मांग एम.एस.पी. पर कानून बनाने को लेकर है। किसानों की मांग है सरकार एम.एस.पी. से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित करे। और एम.एस.पी. पर सरकारी खरीद लागू रहे। अन्य फसलों को भी एम.एस.पी. के दायरे में लाया जाये।

किन्तु कानून बनाने में काफी अड़चने हैं। एम.एस.पी. एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है। अर्थात् फसल के अनुरूप मूल्य तय किया जाता है। किन्तु कानून बनने के बाद गुणवत्ता पर खरी नहीं उतनी फसलों को समर्थन मूल्य कैसे दिया जाएगा। यदि सभी फसलों को एम.एस.पी. से अच्छादित कर दिया गया तो सरकार का बजट बहुत बढ़ जायेगा।

सरकार किसानों को अन्य प्रकार से एम.एस.पी. का लाभ दे सकती है। सरकार प्राइवेट कम्पनियों पर इसके लिए दबाव बना सकती है कि कम्पनियां एम.एस.पी. पर ही फसलों को खरीदें। सरकार अपनी ऐजेंसी जैसे भारतीय खद्य निगम, भारतीय कपास निगम के माध्यम से किसानों से फसल खरीदे।

बाजार कीमत और एम.एस.पी. को घाटे के अन्तर को सरकार पूरा करे। इस सम्बन्ध में किसान सम्मान निधिका उदाहरण दिया जा सकता है।

आन्दोलन को समाप्त करने के लिए 14 अक्टूबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक सरकार और किसान संघों के प्रतिनिनिधत्व वाले किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हुई। जिसमें सभी बार्ताएं अनिर्णायक रहीं। 3 फरवरी को किसान नेताओं ने कृषि कानूनों को निरस्त नहीं करने पर आन्दोलन को तेज करने की चेतावनी दी। कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर स्थगन आदेश लागू रहता है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति कृषि कानूनों से सम्बंधित अपने कार्य जारी रखती है। छः राज्य सरकारों (केरल, पंजाब, दत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और बंगाल) ने कृषि अधिनियमों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। और तीन राज्यों (पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान) ने अपने–अपने राज्य विधानसभाओं में काउंटर कानून पेश किया है। कोई भी काउंटर कानून सम्बन्धित राज्य के राज्यपालों द्वारा पारित नहीं किया गया।

ट्रेड यूनियनों के अनुसार 26 नवम्बर 2020 को 25 करोड़ लोगों की राष्ट्र व्यापी हड़ताल किसान संघों के समर्थन में हुई। 30 नवम्बर को 3 लाख की अनुमानित भीड़ ने दिल्ली की रास्ते की विभिन्न सीमाओं पर जमा होने लगी। 21 मार्च को बेंगलुरू का विशेष उल्लेख करते हुए कहा गया ''तुम (किसानों) को बेंगलूरू को दिल्ली में बदलना होगा। तुम्हें शहर की चारों ओर से घेराबंदी करनी होगी।'' 14 मिलियन ट्रक ड्राईवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिवहन संघ किसान संघों के समर्थन में आए हैं। 26 जनवरी को हजारों किसानों ने ट्रैक्टरों के एक बड़े काफिले के साथ किसानों की परेड़ की और दिल्ली चले गए। ट्रैक्टर रैली कुछ बिन्दुओं पर हिंसक विरोध में बदल गई। 21 मार्च 2021 तक हरियाणा पुलिस के अनुसार दिल्ली सीमा पर सिंधु और टिकरी में लगभग 40,000 प्रतिबद्ध प्रदर्शनकारी बैठे हैं।

2 दिसंबर 2020 को पंजाब विश्वविद्यालय के कई छात्रों द्वारा प्रस्तुत एक याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 जनवरी 2021 को एक सार्वजनिक याचिका के रूप में दर्ज की गई थी। यह याचिका एक पत्र के रूप में थी जिसमें पुलिस की ज्यादती, प्रदर्शनकारियों की अवैध हिरासत का आह्वान किया गया था। , मीडिया चैनलों द्वारा "गलत बयानी, ध्रुवीकरण और सनसनीखेज" और मानवीय आधार पर मामले से संपर्क किया। याचिका का मसौदा तैयार करने वाले एक छात्र ने द वायर को सूचित किया कि "किसानों के विरोध के 100 दिनों के दौरान, विरोध के पक्ष में दायर की गई यह पहली याचिका है"।

किसानों ने कहा है कि अगर पीछे हटने के लिए कहा गया या कानूनों पर रोक लगा दी गई तो वे अदालतों की नहीं सुनेंगे। किसान संघ के नेताओं ने भी सरकार के "बातचीत को चकमा देने" का मुद्दा उठाया है क्योंकि "एससी ने पहले कहा है कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगा"। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस संबंध में एक बयान दिया, "सरकार क्यों चाहती है कि सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से लेकर कृषि कानूनों तक सभी विवादास्पद मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट हल करे ?"

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए बोबडे ने , न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के साथ कृषि कानूनों से उपजे मामलों की सुनवाई की है।

11 जनवरी 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, "हम कृषि और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं हैं। हमें बताएं कि क्या आप (सरकार) इन कानूनों को रोकेंगे या फिर हम करेंगे। यहां प्रतिष्ठा का मुद्दा क्या है? हम नहीं जानते कि आप समाधान का हिस्सा हैं या समस्या का हिस्सा हमें आशंका है कि किसी दिन शांति भंग हो सकती है। हम में से प्रत्येक जिम्मेदार होगा अगर कुछ गलत हो जाता है यदि विशाल बहुमत कहता है कि कानून अच्छे हैं, तो वे इसे (ए) समिति से कहें।" कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि वे "... जिस तरह से सरकार इस सब (किसानों के विरोध प्रदर्शन) को संभाल रही है, उससे बेहद निराश हैं। हम नहीं जानते कि कानूनों के सामने आपने किस परामर्श प्रक्रिया का पालन किया। कई राज्य

ऊपर हैं विद्रोह में।" कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि किसानों के "विशाल बहुमत" ने कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें किसी भी व्यक्ति से कोई सबमिशन नहीं मिला है कि कानून फायदेमंद थे।

12 जनवरी 2021 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों को निलंबित कर दिया और विरोध करने वाले किसानों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया। शरद अरविंद बोबडे ने किसान संघों से सहयोग करने का अनुरोध किया। समिति के सदस्यों में कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी , प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत और भूपिंदर सिंह मान शामिल थे । हालांकि, दो दिन बाद, भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया और एक प्रेस बयान जारी किया, "एक किसान के रूप में और एक संघ के नेता के रूप में, किसान यूनियनों और आम जनता के बीच प्रचलित भावनाओं और आशंकाओं को देखते हुए, मैं पंजाब के हितों से समझौता न करने के लिए मुझे दिए गए या दिए गए किसी भी पद का त्याग करने के लिए तैयार हूं। और देश के किसानों, मैं समिति से खुद को अलग कर रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा।

मान के खुद को अलग करने और निम्नलिखित आलोचना के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के शेष सदस्यों ने समिति को बताए गए कार्यों को जारी रखा। समिति की नियुक्ति में पूर्वाग्रह से संबंधित आलोचना उठाई गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संबोधित किया। जब समिति को निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है तो पक्षपात का सवाल ही कहां है। हमने उनसे किसानों की शिकायतों को सुनने और हमें एक रिपोर्ट देने के लिए कहा है आप लोगों पर बिना सोचे–समझे आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ राय व्यक्त की है और आपको लगता है कि वे समिति में बैठने के लिए अयोग्य हैं। यह उन लोगों की ब्रांडिंग करने और उनकी आलोचना करने की संस्कृति बन गई है जिन्हें आप नहीं चाहते हैं।

तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध जारी है। आन्दोलन अपने चरम पर है। अब भविष्य ही किसान आन्दोलन की सफलता–असफलता तय करेगा।

संदर्भ सूची

Gupta, Shekhar (2020-11-28). "Shambles over farmers' protest shows Modi-Shah BJP needs a Punjab tutorial". ThePrint.

A Day at the Farmers' Protest ft. Samdish (YouTube) (in Hindi). ScoopWhoop Unscripted. 2020-12-04.

Das, Gurcharan (2020-12-02). "Don't kill 2nd green revolution: Rolling back farm reforms would privilege a small but vociferous group over the silent majority". The Times of India.

Bhai, Rachit (2020-12-07). The Real reason behind the Farmer issue no one is telling (YouTube) (in Hindi).

"Protests against farm laws: full coverage". People's Archive of Rural India. 2021-01-11.

Ajay Shah (2021-02-07). The Tragedy of Our Farm Bills (interview podcast). The Seen and the Unseen with Amit Verma. 58 minutes in. Episode 211.

Mekhala Krishnamurthy, Srinath Raghavan (2021-02-11). Analyzing India's Agricultural Markets and Farm